

अनुलग्नक III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'लेखांकन की टिप्पणी'

ए. सामान्य

वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में इन निदेशों में सूचीबद्ध मदों का प्रकटन किया जाएगा। बैंक आवश्यक होने पर अतिरिक्त प्रकटन करेंगे।

बी. प्रस्तुति

तुलन पत्र के अनुसूची के अलावा, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' और 'लेखांकन की टिप्पणी' का सारांश अलग-अलग अनुसूची में बताया जाएगा।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

बैंक, 'लेखांकन की टिप्पणी' में कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। बैंक यह नोट करें कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेन-देन या मद का उल्लेख होने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेन-देन की अनुमति या अन्यथा निर्धारित करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे। ये वाणिज्यिक बैंकों और यूसीबी के लिए सामान्य टेम्पलेट्स हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता है। आरआरबी, एलएबी और यूसीबी उन लाइन मदों/प्रकटीकरणों को छोड़ सकते हैं जो चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में लागू/अनुमत या कोई एक्सपोजर/लेनदेन के नहीं हैं। बैंक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में सूचित सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी का प्रकटन करेंगे। इसके अलावा, बैंकों द्वारा विस्तृत और वर्णनात्मक जानकारी के लिए तुलनात्मक विवरण शामिल किया जाएगा यदि यह वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है।

1. विनियामकीय पूंजी

ए) विनियामकीय पूंजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)* /चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि [®] (निवल कटौती, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी */अन्य टियर 1 पूंजी [®]		
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)		
iv)	टियर 2 पूंजी		
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)		
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि [®]		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		

क्र. सं.	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
xi)	लीवरेज अनुपात *		
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत a) भारत सरकार b) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) \$ c) प्रायोजक बैंक \$		
xiii)	वर्ष के दौरान एकत्र चुकता पूंजी की राशि		
xiv)	वर्ष के दौरान एकत्र गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार के अनुसार सूची ⁷ प्रदान करें (स्थायी गैर – संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज लिखत आदि) । वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		
xv)	वर्ष के दौरान एकत्र टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार के अनुसार सूची ⁸ प्रदान करें (स्थायी गैर – संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज लिखत आदि) । वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		

\$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

⁷ उदाहरण: कोई वाणिज्यिक बैंक निम्नानुसार प्रकटन कर सकता है :

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	###	###
ए) बेसल III अनुपालित स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर	###	###
बी) बेसल III अनुपालित स्थायी कर्ज लिखत	###	###

⁸ उदाहरण: कोई यूसीबी निम्नानुसार प्रकटन कर सकता है :

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से:	###	###
a) स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर	###	###
b) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर	###	###
c)	###	###

बी) रिजर्व से डाडाउन

आरक्षित निधि से किसी प्रकार की निकासी के संबंध में राशि और निकासी के औचित्य का उल्लेख करते हुए उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाएगा।

2. आस्ति देयता प्रबंधन**ए) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न**

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधि क से 3 माह तक	3 माह से अधि क से 6 माह तक	6 माह से अधि क से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधि क से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधि क से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधि क	कुल
जमा ⁹												
अग्रिम												
निवेश												
उधार												
विदेशी मुद्रा आस्ति यां												
विदेशी मुद्रा देयताएँ												

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी) और यूसीबी पर लागू नहीं है)

⁹ बचत बैंक खाते और चालू जमा खातों को अस्थिर और मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बचत बैंक खाते (10 प्रतिशत) और चालू बैंक (15 प्रतिशत) खाते सामान्य रूप से मांग पर देय हैं। इस हिस्से को अस्थिर माना जा सकता है। जहां अस्थिर भाग 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिन के समय बकेट में रखा जा सकता है, वहीं अनुभव और बैंकों के अनुमानों के आधार पर मुख्य भाग को 1-3 साल से अधिक के बकेट में रखा जा सकता है। बचत बैंक खाते और चालू बैंक खाते के जमाओं का यह वर्गीकरण केवल एक बेंचमार्क है। जो बैंक पिछले आंकड़ों/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर व्यवहार पैटर्न, रोल-इन और रोल-आउट, एम्बेडेड विकल्प आदि का अनुमान लगाने के लिए अधिक जानकारी हैं, वे उचित बकेट में अर्थात अनुबंध परिपक्वता के बजाय व्यवहार परिपक्वता, बोर्ड/एएल्को के अनुमोदन के अधीन, वर्गीकृत कर सकते हैं।

- i) वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, एलएबी और पीबी को छोड़कर) नीचे दिए गए प्रारूप में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए अपने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के बारे में जानकारी का प्रकटन करेंगे:

(राशि ₹ करोड़ में)

		को समाप्त तिमाही (इसी प्रकार प्रत्येक चार तिमाहियों के लिए कॉलम होंगे)	
		कुल गैर-भारित ¹ मूल्य (औसत)	कुल भारित ² मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		
नकद बहिर्वाह			
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से:		
i)	स्थिर जमा		
ii)	कम स्थिर जमा		
3	गैर जमानती थोक जमा, जिनमें से:		
i)	परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकारों को)		
ii)	गैर-परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकारों को)		
iii)	गैर जमानती ऋण		
4	जमानती थोक फंडिंग		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से		
i)	डरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य जमानत आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह		
ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		
iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व		
8	कुल नकद बहिर्वाह		
नकद अंतर्प्रवाह			
9	जमानती ऋण (उदाहरण के लिए रिवर्स रेपो)		

		को समाप्त तिमाही (इसी प्रकार प्रत्येक चार तिमाहियों के लिए कॉलम होंगे)	
		कुल गैर-भारित ¹ मूल्य (औसत)	कुल भारत ² मूल्य (औसत)
10	अर्जक एक्सपोजर से प्रवाह		
11	अन्य नकदी प्रवाह		
12	कुल नकद प्रवाह		
			कुल समायोजित ³ मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		

1. गैर भारत मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या मांग वाली बकाया राशि के रूप में की जाएगी (अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के लिए), सिवाय इसके कि परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।
2. भारत मूल्यों की गणना संबंधित हेयर कट (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों (अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के लिए) के लागू किए जाने के बाद की जाएगी।
3. समायोजित मूल्यों की गणना दोनों (i) हेयर कट तथा अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों एवं (ii) किसी भी लागू सीमा (अर्थात् लेवल 2बी और एचक्यूएलए के लिए लेवल 2 आस्तियों के लिए सीमा तथा अंतर्प्रवाह पर सीमा) के लागू किए जाने के बाद की जाएगी।

आंकड़े को पिछली तिमाही में दैनिक गणना के साधारण औसत के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अर्थात् औसत की गणना 90 दिनों की अवधि में की जाती है)। बैंकों को टेम्पलेट में औसत आंकड़ों की गणना में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़ा बिन्दुओं की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए। साधारण औसत की गणना पिछली तिमाहियों में दैनिक गणना के आधार पर की जाएगी। अधिकांश आंकड़ा मदों के लिए, एलसीआर घटकों के गैर-भारित और भारित दोनों मूल्यों को प्रकटीकरण प्रारूप में दिए गए रूप में बताया जाएगा। अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के गैर-भारित मूल्य की गणना विभिन्न श्रेणियों या देयताओं के प्रकार, तुलन पत्र मदों या संविदात्मक प्राप्तियों के बकाया शेष के रूप में की जाएगी। एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना हेयर कट लागू किए जाने के बाद मूल्य के रूप में की जाएगी। अंतर्प्रवाह तथा बहिर्वाह के लिए भारित मूल्य की गणना अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों के लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाएगी। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह समायोजित मूल्य के रूप में प्रकटित किया जाएगा, जहां एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य हेयर कट और लेवल 2 बी तथा लेवल 2 आस्तियों पर किसी भी लागू सीमा जैसा कि इस फ्रेमवर्क में दर्शाया गया है, दोनों के लागू होने के बाद कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। यदि लागू हो तो अंतर्प्रवाह पर सीमा लागू होने के बाद निवल नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना की जानी है।

ii) बैंक एलसीआर पर पर्याप्त गुणात्मक चर्चा¹⁰ करेंगे ताकि उन्हें परिणामों और प्रदत्त आंकड़ों की समझ को सुगम बनाया जा सके।

सी) निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)¹¹

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और यूसीबी पर लागू नहीं)

- i) एनएसएफआर पर दिशानिर्देश प्रभावी होने के बाद, वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी, एलएबी और पीबीएस को छोड़कर) को नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार अपने एनएसएफआर प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी।
- ii) बैंक इस प्रकटीकरण को अपने वित्तीय विवरणों/परिणामों (अर्थात् सामान्य रूप से त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक) के प्रकाशन के साथ प्रकाशित करेंगे, चाहे वित्तीय विवरण/परिणामों का लेखा-परीक्षा हुआ हो अथवा नहीं। एनएसएफआर विवरण की गणना समेकित आधार पर की जाएगी और इसे भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जाएगा।

¹⁰ उदाहरण के लिए, जहां एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ बैंक चर्चा कर सकते हैं:

- a) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य वाहकों और समय के साथ एलसीआर की गणना में इनपुट के योगदान का विकास;
- b) अंतर अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन;
- c) एचक्यूएलए की संरचना;
- d) वित्तपोषण स्रोतों का संकेन्द्रण;
- e) डरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित जमानत मांग;
- f) एलसीआर में मुद्रा असंतुलन;
- g) चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रण की मात्रा और समूह की इकाइयों के बीच लेनदेन का विवरण; तथा एलसीआर गणना में अन्य अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह जो एलसीआर कॉमन टेम्पलेट में उजागर नहीं किए जाते हैं लेकिन जिसे संस्था अपनी चलनिधि प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानती है।

¹¹ ये एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि से प्रभावी होंगे

- iii) बैंक या तो इन एनएसएफआर प्रकटीकरण को अपनी प्रकाशित वित्तीय रिपोर्टों में शामिल करेंगे या कम से कम अपनी वेबसाइटों पर या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नियामक रिपोर्टों में पूर्ण प्रकटीकरण के लिए एक प्रत्यक्ष और प्रमुख लिंक प्रदान करेंगे।
- iv) आंकड़े तिमाही के अंत में विवरणी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। अर्ध-वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करने वाले बैंकों को एनएसएफआर को पूर्ववर्ती प्रत्येक दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग करने वाले बैंकों के लिए, एनएसएफआर को पूर्ववर्ती चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एनएसएफआर मदों के गैर-भारित और भारित दोनों मूल्यों का प्रकटन तब तक किया जाएगा जब तक कि अन्यथा इंगित न किया जाए। भारित मूल्यों की गणना उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) या आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) कारकों के लागू होने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।
- v) बैंक, नीचे निर्धारित टेम्पलेट के अलावा, परिणामों और संबंधित आंकड़ों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएसएफआर पर पर्याप्त गुणात्मक चर्चा¹² करेंगे।

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष†	
एएसएफ मद						
1	पूंजी: (2+3)					
2	विनियामकीय पूंजी					
3	अन्य पूंजीगत लिखत					
4	छोटे व्यापार ग्राहकों से खुदरा जमाएं और जमाएं: (5+6)					
5	स्थिर जमाएं					
6	न्यून स्थिर जमाएं					
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)					
8	परिचालन जमाएं					
9	अन्य थोक वित्त पोषण					
10	अन्य देनदारियां: (11+12)					
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां					
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं					
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					
आरएसएफ मद						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियां					

¹² उदाहरण के लिए, जहां एनएसएफआर के लिए महत्वपूर्ण, बैंक अपने एनएसएफआर परिणामों के संवाहकों और अंतर-अवधि में परिवर्तन के कारणों के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन (जैसे रणनीतियों में परिवर्तन, वित्तपोषण संरचना, परिस्थितियों आदि) पर चर्चा कर सकते हैं।

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
	(एचक्यूएलए)					
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा जमाएं					
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)					
17	स्तर 1 द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण					
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के अप्रतिभूत अर्जक ऋण					
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के अर्जक ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रियों, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:					
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ					
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:					
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ					
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी समेत एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं					
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 का जोड़) अन्य आस्तियां: (25 से 29 की राशि)					
25	सोना समेत भौतिक व्यापारिक वस्तुएं					
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में प्रदान की गई आस्तियां					
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां					
28	परिवर्तन मार्जिन की कटौती से					

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
	पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां प्रदान की गईं					
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई सभी अन्य आस्तियां					
30	ऑफ-बैलेंस शीट मद					
31	कुल आरएसएफ					
32	निवल स्थिर निधि अनुपात					

* 'अपरिपक्व' समय बकेट में रिपोर्ट की जाने वाली मदों में एक निश्चित परिपक्वता नहीं है। इनमें सतत परिपक्वता, गैर परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचव्यूएलए इक्विटी, और भौतिक रूप में व्यापार की जाने वाली वस्तुएं जैसे मद शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इतनी ही सीमित नहीं हैं।

3. निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

तारीख को ... (चालू वर्ष की तुलना पत्र की तारीख)

(₹....करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
धारित परिपक्वता												
सकल												
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

ट्रेडिंग के लिए धारित												
निवल												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

तारीख को ... (पिछले वर्ष की तुलन पत्र की तारीख)

((₹....करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
धारित परिपक्वता												

सकल												
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
ट्रेडिंग के लिए धारित												
निवल												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												

घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

बी) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

(₹....करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) निवेश पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन क) प्रारम्भिक शेष ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते/राइट बैक में डालना घ) अंतिम शेष		
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन क) प्रारम्भिक शेष ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि ग) घटाएं: ड्राडाउन घ) अंतिम शेष		
iii) एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश ¹³ के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष		

सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और अंतरण

जहां एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है, बैंक एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटीकरण करेंगे। बाजार मूल्य से अधिक बही मूल्य, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, का भी प्रकटीकरण किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में शामिल नहीं होगा:

- लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा किए गए निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों का एकमुश्त अंतरण।
- आरबीआई द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में गिरावट के परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता को कम करने के लिए एचटीएम से सीधी बिक्री।
- आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन संचालन जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और सरकारी सिक्योरिटीज एक्जिजिशन प्रोग्राम (जीएसएपी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री।
- बायबैक/स्विच संचालन के तहत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- बायबैक/स्विच संचालन के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की

¹³ वहन मूल्य में निवल मूल्यहास घटाकर (निवल मूल्यवृद्धि को शामिल न करते हुए) अर्थात तुलन -पत्र में परिलक्षित निवल राशि

पुनर्खरीद।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण।

डी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क)	प्रारम्भिक शेष		
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि		
ग)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती		
घ)	अंतिम शेष		
ड.)	कुल धारित प्रावधान		

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूति मात्रा		'रेट न की गई' प्रतिभूति मात्रा		'असूचीबद्ध' की प्रतिभूति मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
क)	पीएसयू										
ख)	एफ़आई										
ग)	बैंक										
घ)	निजी कॉर्पोरेट										
ड.)	सहायक/संयुक्त उद्यम										
च)	अन्य										
छ)	मूल्यहास के लिए प्रावधान										
	कुल *										

नोट:

- * वाणिज्यिक बैंकों के लिए, कॉलम 3 के तहत कुल, तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल कुल निवेश के योग से मेल खाना चाहिए:

क) भारत में निवेश

- शेयर
- डिबेंचर और बांड
- सहायक और/या संयुक्त उद्यम

iv) अन्य

ख) भारत के बाहर निवेश (जहां लागू हो)

i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)

ii) विदेशों में सहायक और/या संयुक्त उद्यम

iii) अन्य निवेश

2. * शहरी सहकारी बैंकों के लिए, कुल राशि बैंक द्वारा धारित गैर-एसएलआर निवेशों के योग से मेल खाएगी।

3. उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)¹⁴

(राशि ₹करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियां				
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां				
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियां				
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां				

¹⁴ प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित [पुनर्खरीद लेनदेन \(रेपो\) \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2018](#) में निर्दिष्ट होगा। संदर्भ में आसानी के लिए इस मास्टर निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

4. आस्ति की गुणवत्ता

ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण¹⁵

	अर्जक	अनर्जक				कुल
	कुल अर्जक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन						
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*						
अंतिम शेष						
*सकल एनपीए में कटौती के कारण:						
i) उन्नयन						
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)						
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण ¹⁶ बढ़े खाते						
iv) ऊपर (iii) के अलावा अन्य बढ़े खाते						
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						

¹⁵ अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

¹⁶ तकनीकी या विवेकपूर्ण राइट-ऑफ अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखाओं की पुस्तकों में बकाया हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूरी तरह या आंशिक रूप से) बढ़े खाते में डाले गए हैं। तकनीकी बढ़े खाते में डालने की राशि को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर हमारे परिपत्र संदर्भ [बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2009-10 दिनांक 1 दिसंबर 2009](#) में परिभाषित)

	अर्जक	अनर्जक				कुल
	कुल अर्जक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान						
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान वापस /बट्टे खाते में डाले गए ऋण						
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष						
निवल एनपीए¹⁷						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन						
कम: वर्ष के दौरान कटौती						
अंतिम शेष						
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि ¹⁸						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बट्टे खाते और उस पर की गई वसूली						

¹⁷ इस सीमा तक कि अस्थायी प्रावधानों को टियर 2 पूंजी के लिए नहीं माना गया है, शुद्ध एनपीए पर पहुंचने के लिए उन्हें सकल एनपीए से घटाया जा सकता है।

¹⁸ ड्राडाउन के औचित्य को तालिका के नीचे एक नोट के माध्यम से समझाया जा सकता है।

	अर्जक	अनर्जक				कुल
	कुल अर्जक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी/प्रूडेंशियल बढ़े खातों का प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते						
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खातों से की गई वसूली						
अंतिम शेष						

अनुपात ¹⁹ (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
सकल एनपीए अनुपात सकल अग्रिम		
निवल एनपीए अनुपात निवल अग्रिम		
प्रावधान कवरेज अनुपात		

¹⁹ लागू विनियामक अनुदेशों के अनुसार गणना की जानी है।

बी) क्षेत्रवार अग्रिम एवं सकल एनपीए

(राशि ₹करोड़ में)

Sr. No.	क्षेत्र *	चालू वर्ष			विविगत वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिक क्षेत्र						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ						
ख)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम						
ग)	सेवाएं						
घ)	वैयक्तिक ऋण						
	उप कुल (i)						
ii)	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ						
ख)	उद्योग						
ग)	सेवाएं						
घ)	वैयक्तिक ऋण						
	उप कुल (ii)						
	कुल (I + ii)						

* बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी प्रकटीकरण करेंगे जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वह 'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में खनन के लिए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण अलग से प्रकट करेगा।

सी) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व²⁰

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
कुल आस्ति		
अन्य एनपीए		
कुल राजस्व		

डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण**i) समाधान योजना का विवरण**

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और यूसीबी पर लागू नहीं)

[7 जून 2019 के परिपत्र बैंक वि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19](#) के तहत जारी 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' के दायरे में आने वाले बैंक द्वारा लागू समाधान योजनाओं से संबंधित अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करेंगे। संदर्भित परिपत्र के पैराग्राफ 30 के अनुसार, पुनर्चना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर विनियामकीय उच्चतम सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। हालांकि, इसका ब्योरा बैंकों द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

²⁰ यदि किसी बैंक के पास चालू और पिछले दोनों वर्षों में कोई विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व नहीं है, तो वह इस प्रकटीकरण को छोड़ सकता है।

ii) पुनर्चना²¹ के अधीन खातों का विवरण

(एलएबी, आरआरबी और यूसीबी पर लागू)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		कॉर्पोरेट्स (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई))		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)										
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										
संदिग्ध ।	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										

एलएबी, आरआरबी और यूसीबी अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्र में उन खातों की राशि और संख्या का प्रकटीकरण करेंगे जिनके संबंध में पुनर्गठन के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन पुनर्गठन पैकेज अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

(आरआरबी पर लागू नहीं)

यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो बैंक²² नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे:

- अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ²³ के 5²⁴ प्रतिशत से अधिक है, और

²¹ लागू विनियमों के अनुसार परिभाषित पुनर्चना।

²² शहरी सहकारी बैंक 31 मार्च, 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करेंगे।

²³ इस सीमा को निर्धारित करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को (ए) कर व्यय, और (बी) मानक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (उनके लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त) के प्रावधानों को वर्ष के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा जाना चाहिए।

²⁴ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए 10%।

- ii. अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए²⁵ वृद्धिशील सकल एनपीए के 5²⁶ प्रतिशत से अधिक हैं।

बशर्ते कि शहरी सहकारी बैंकों के मामले में वृद्धिशील सकल एनपीए की सीमा 15 प्रतिशत होगी, जिसे समीक्षा के बाद चरणबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा।

		(राशि ₹ करोड़ में)
क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को सकल एनपीए	
2.	31 मार्च, 20XX को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित सकल एनपीए	
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को निवल एनपीए	
5.	31 मार्च, 20XX को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित निवल एनपीए	
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	
10.	प्रकाशित लाभ 31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले	
11.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	
12.	31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	

* 31 मार्च, 20XX संदर्भ अवधि की समाप्ति है, जिसके संबंध में विचलन का मूल्यांकन किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को इस तरह के विचलन की सूचना के तुरंत बाद प्रकाशित होने वाले आगामी वार्षिक वित्तीय विवरणों में उपरोक्त के रूप में प्रकटीकरण को 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाएगा।

²⁵ रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए संदर्भ वर्ष के दौरान सकल एनपीए में वृद्धि को संदर्भित करता है जैसा कि संदर्भ अवधि के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

²⁶ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तक के वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण के लिए 15 प्रतिशत और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष तक के वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण के लिए 10 प्रतिशत

एफ) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण²⁷

ऋणदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखांकन की टिप्पणी' के अंतर्गत, ऋण की कुल राशि के संबंध में, जो कि डिफॉल्ट नहीं है / दबावग्रस्त ऋणों की कुल राशि जो अन्य संस्थाओं से/ को हस्तांतरित या अर्जित की गई है, से संबंधित प्रकटीकरण करना चाहिए, जैसा कि नीचे निर्धारित है, ऐसा प्रकटीकरण त्रैमासिक आधार पर 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाले तिमाही से प्रारंभ करना चाहिए:

- (i) उन ऋणों के संबंध में जो डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित या अर्जित नहीं किए गए हैं, प्रकटीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ, भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारण अवधि, लाभकारी आर्थिक हित की अवधारण, वास्तविक सुरक्षा कवरेज, और रेटिंग-रेटेड ऋणों का वितरण जैसे पहलू शामिल होने चाहिए। विशेष रूप से, एक अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का खुलासा करना चाहिए जहां वह अंतरिती (ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नवीनीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- (ii) तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण या अधिग्रहण के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान स्थानांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)

(सभी राशि ₹ करोड़ में)	ARCs को	अनुमत स्थानान्तरितियों के लिए	अन्य स्थानान्तरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या			
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन			
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)			

²⁷ ये प्रकटीकरण मूल रूप से [भारतीय रिज़र्व बैंक \(ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण\) निर्देश, 2021](#) में निर्दिष्ट हैं और संदर्भ की आसानी के लिए यहां केवल पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन निदेशों और [भारतीय रिज़र्व बैंक \(ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण\) निर्देश, 2021](#) के बीच किसी भी विरोध के मामले में, बाद वाला मान्य होगा। अंकित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले दोनों वर्षों के आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

वर्ष के दौरान स्थानांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	ARCs को	अनुमत स्थानान्तरितियों के लिए	अन्य स्थानान्तरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
कुल प्रतिफल			
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली			
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण			
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी द्वारा		ARCs द्वारा
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया			
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया			
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

अंतरणकर्ता (ओं) को दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में भी उचित प्रकटीकरण करना चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दिए गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा रखे गए एसआर के वितरण का खुलासा करना चाहिए।

जी) धोखाधड़ी खाते

बैंक नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार धोखाधड़ी मामलों की संख्या और राशि के साथ-साथ उस पर प्रावधान का प्रकटीकरण करेंगे

	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या		
धोखाधड़ी प्रकरणों में शामिल राशि (₹ करोड़)		
ऐसी धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		

	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
वर्ष के अंत में 'अन्य रिज़र्व' से डेबिट किए गए गैर-परिशोधित प्रावधान की राशि। (₹करोड़)		

एच) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

विवेकपूर्ण ढांचे के तहत एक विशेष सुविधा को [दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21](#) के माध्यम से विस्तारित किया गया था ताकि ऋणदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋण के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में, ऐसे एक्सपोजर को अर्जक ऋण के रूप में वर्गीकृत करते के लिए सक्षम बनाया जा सके। बैंक प्रत्येक छमाही में नीचे निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे, अर्थात् 30 सितंबर और 31 मार्च को, वित्तीय विवरणों में 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से शुरू होने वाले सभी एक्सपोजर, जिस पर समाधान योजना लागू की गई थी, वह या तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है या पूरी तरह से एनपीए में चला गया है, जो भी पहले हो, तब तक।

30 सितंबर 2021 से अर्धवार्षिक किए जाने वाले प्रकटीकरण का प्रारूप

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर-पिछले छमाही (क) के अंत में स्थिति	(क) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया	(क) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(क) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस आधे साल के अंत
व्यक्तिगत ऋण					
कॉर्पोरेट व्यक्ति*					
जिनमें से एमएसएमई					
अन्य					
कुल					

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

5. एक्सपोजर

ए) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर ए) आवासीय बंधक - आवासीय आस्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर दिया गया है, के लिए ऋण। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। बी) वाणिज्यिक रियल स्टेट - वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापार स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा		

श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सुरक्षित ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी; सी) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश I. आवासीय ii. व्यावसायिक रियल स्टेट - ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर।		
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		

बी) पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण ²⁸	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;		
ii) शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर, और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;		
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है		
iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के		

²⁸ आरआरबी, एलएबी और यूसीबी उन लाइन आइटम को छोड़ सकते हैं जो लागू/अनुमति नहीं हैं या चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर हैं।

<i>विवरण</i> ²⁸	चालू वर्ष	विगत वर्ष
लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा निधि अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;		
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के एवज में या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;		
vii) कंपनियों को अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के लिए ब्रिज ऋण;		
viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण;		
x) वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए, मौजूदा नियमों के अधीन, ऋणदाताओं को उनके नुकसान/ त्याग (शुद्ध वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से मौजूदा विनियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है। यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, तो इसका प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाएगा। बैंक एक कार्यनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने के विवरण को अलग से प्रकट करेंगे, जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है।

सी) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर²⁹

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी*	मार्च में एक्सपोजर (निवल) (चालू वर्ष)	(चालू वर्ष) मार्च में धारित प्रावधान.	(पिछले वर्ष) मार्च में एक्सपोजर (निवल)	(पिछले वर्ष) मार्च के अनुसार प्रावधान...
अमहत्वपूर्ण				
न्यून				
सामान्य रूप में कम				
सामान्य				
सामान्य रूप से उच्च				
उच्च				
अधिक उच्च				
कुल				

* जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग सिस्टम में नहीं चले जाते हैं, तब तक बैंक सात-श्रेणी के वर्गीकरण का उपयोग करेंगे, जिसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) का वर्गीकरण और देश जोखिम के लिए प्रावधान करना होगा। ईसीजीसी बैंकों के अनुरोध पर, उनके देश के वर्गीकरण के त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

डी) गैर-प्रतिभूत अग्रिम

बैंक अग्रिमों की कुल राशि का प्रकटीकरण करेंगे जिसके लिए अवास्तविक प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही इस तरह के अवास्तविक संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य को निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रकट करेंगे।

²⁹ यदि किसी बैंक का चालू और पिछले दोनों वर्षों में देश जोखिम में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वह यह उल्लेख करते हुए तालिका के प्रकटीकरण को छोड़ सकता है कि उसका देश जोखिम के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम		
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अवास्तविक प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है		
ऐसी अवास्तविक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

ई) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर

फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर अलग से प्रकट किया जाएगा।

एफ) अंतर - समूह एक्सपोजर

वाणिज्यिक बैंक पिछले वर्ष की तुलना के साथ चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगे:

- अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि
- शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि
- उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के संबंध में अंतर - समूह एक्सपोजर का प्रतिशत
- अंतर - समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो, ।

जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक अपनी नीतियों का प्रकटीकरण करेंगे। वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, एलएबी और पीबी को छोड़कर) इस जोखिम के लिए उनके द्वारा धारित वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी का भी प्रकटीकरण करेंगे।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण**ए) जमाओं का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि		
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत		

बी) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम		
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत		

* अग्रिम की गणना क्रेडिट एक्सपोजर यानी डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित वित्त पोषित और गैर-निधि सीमाएं, जहां लागू हो, के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। हालांकि, पूरी तरह से आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में मान सकते हैं।

सी) एक्सपोजर का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत		

** एक्सपोजर की गणना लागू आरबीआई विनियमन के अनुसार की जाएगी।

डी) एनपीए का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर		
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत।		

7. डेरिवेटिव³⁰

ए) वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन ii) यदि प्रतिपक्षकार समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियां iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv) स्वैप ³¹ से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की संकेंद्रता v) स्वैप बुक ³² का उचित मूल्य		

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम पर जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल हैं, का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

बी) एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र म सं	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)		
ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)		
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड इंटररेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का मार्क टू मार्केट वैल्यू बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		

³⁰ आरआरबी, एलएबी, पीबी और यूसीबी जिन्होंने चालू और पिछले दोनों वर्षों में किसी भी डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, वे इन प्रकटीकरणों को छोड़ सकते हैं और इसके बजाय यह प्रकटीकरण कर सकते हैं कि उन्होंने वर्तमान और पिछले वर्षों में डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है।

³¹ संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए एक्सपोजर हो सकते हैं, या अत्यधिक मूल्यवान कंपनियों के साथ स्वैप हो सकते हैं।

³² यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बैंक को स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए भुगतान करनी पड़ेगी या प्राप्त होगी। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका मार्क टू मार्केट मूल्य होगा।

सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को विशेष संदर्भ में प्रकट करेंगे कि किस सीमा तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। प्रकटीकरण में यह भी शामिल होगा:

- क) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,
- ख) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति,
- ग) बचाव और / या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और बचाव /प्रतिरक्षक की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं, और
- घ) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
ए)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	i) हेजिंग के लिए				
	ii) ट्रेडिंग के लिए				
बी)	मार्क टू मार्केट के लिए चिह्नित ^[1]				
	i) आस्ति (+)				
	ii) देयता (-)				
सी)	ऋण एक्सपोजर ^[2]				
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)				
	i) डेरिवेटिव्स हेजिंग पर				
	ii) डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर				
ई)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 देखा गया				
	i) हेजिंग पर				
	ii) ट्रेडिंग पर				

1. प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो आस्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी।
2. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि अपना सकते हैं।

डी) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वामित्व मॉडल का उपयोग करने वाले बैंक, मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में स्वामित्व मॉडल मूल्य और मानक मॉडल मूल्य दोनों का खुलासा करेंगे और एक विशेष मॉडल को दूसरे पर प्राथमिकता देने के पीछे के तर्क का स्पष्टीकरण भी शामिल करेंगे।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण³³

(आरआरबी को छोड़कर सभी एससीबी, एसएफबी पर लागू)

वार्षिक लेखांकन की टिप्पणियों में, प्रवर्तकों को विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की पुस्तकों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की दिनांक के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि की सूचना देना चाहिए। ये आंकड़े एसपीई से प्रवर्तक द्वारा प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका³⁴ में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए:

(संख्या / राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	मार्च 31 (चालू वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी)		
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि		
3.	तुलन पत्र की दिनांक को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि		
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	ख) तुलन पत्र का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		

³³ ये प्रकटीकरण मूल रूप से [भारतीय रिज़र्व बैंक \(मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण\) निदेश, 2021](#) में निर्दिष्ट हैं और संदर्भ की आसानी के लिए यहां केवल पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन निदेशों और [भारतीय रिज़र्व बैंक \(मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण\) निदेश, 2021](#), 2021 के बीच किसी भी विरोध के मामले में, बाद वाला प्रभावी होगा।

³⁴ कृपया 'सरल, पारदर्शी और तुलनात्मक' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन को अलग तालिका में दर्शाये।

क्रम. सं	विवरण	मार्च 31 (चालू वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	ख) तुलन पत्र का एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का रूप और मात्रा (बकाया मूल्य)		
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से दर्शाये अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (क) भुगतान किया (ख) पुनर्भुगतान प्राप्त किया (ग) बकाया राशि		
8.	पूर्व में अवलोकित किए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।		(पिछले 5 वर्षों की औसत डिफ़ॉल्ट दर का उल्लेख कर सकते हैं)
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।		

क्रम. सं	विवरण	मार्च 31 (चालू वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
10.	निवेशकों की शिकायतें (क) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (ख) शिकायतें बकाया		

9. तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और यूसीबी पर लागू नहीं)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	अघरेलू

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए निधि) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष		
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि		
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष		

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

क) बैंक को ग्राहकों से और लोकपाल³⁵ के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
5.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई		

³⁵ पूर्व में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय

		शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा फैसलों को पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.3	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए फैसलों की संख्या (अपील किए गए फैसलों के अलावा)		
नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006)बीओ योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।				

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार³⁶

शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					

³⁶ [27 जनवरी 2021 के परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21](#) के परिशिष्ट 1 में बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार.

1. एटीएम/डेबिट कार्ड	2. क्रेडिट कार्ड	3. इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	4. खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई
5. मिस-सेलिंग/पैरा-बैंकिंग	6. वसूली एजेंट / प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	7. वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	8. ऋण और अग्रिम
9. बिना किसी पूर्व सूचना/अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क के शुल्क लगाना	10. चेक / ड्राफ्ट / बिल	11. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	12. सिक्कों का आदान-प्रदान, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को जारी करना/स्वीकार करना
13. बैंक गारंटी/साख पत्र और दस्तावेजी क्रेडिट	14. स्टाफ व्यवहार	15. शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन करना आदि	16. अन्य

शिकायतों के आधार, (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
आधार - 5					
अन्य					
कुल					
विविगत वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के संबंध में) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण संबंधित बैंक की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के अंतर्गत 'लेखांकन की टिप्पणियां' में किया अजाएगा। विदेशी बैंकों के मामले में, दंड का प्रकटीकरण उसके भारतीय परिचालनों के लिए अगले तुलन पत्र में 'लेखांकन की टिप्पणियों' में किया जाएगा। बैंक उल्लंघन की प्रकृति, चूक के मामलों की संख्या और लगाए गए जुर्माने की मात्रा पर उचित प्रकटीकरण करेंगे।

रिवर्स रेपो लेनदेन में चूककर्ता भागीदार को वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा के साथ-साथ चूक के उदाहरणों की संख्या पर उचित प्रकटीकरण करना होगा।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों पर लागू)

बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक तालिका या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे और पिछले और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक (लागू सीमा तक), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे:

प्रकटीकरण का प्रकार		सूचना
मात्रात्मक	(क)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना।
	(ख)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और संरचना और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों से संबंधित जानकारी।
	(ग)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए।
	(घ)	उन तरीकों का विवरण जिनमें बैंक प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।
	(ङ.)	परिवर्तनीय पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित पर बैंक की नीति की चर्चा और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंड की चर्चा।
	(च)	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (यानी, नकद और शेयर-लिंकड लिखतों के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का औचित्य।

			चालू वर्ष	विगत वर्ष
मात्रात्मक प्रकटीकरण <i>(मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए)</i>	(छ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक।		
	(ज)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन-ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि। (iii) उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विच्छेद वेतन का विवरण।		
	(झ)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर लिंकड लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित। (ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।		

			चालू वर्ष	विगत वर्ष
	(ज)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का विभाजन तय और परिवर्तनशील, आस्थगित और गैर-आस्थगित दिखाने के लिए।		
	(ट)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो स्पष्ट और/या निहित समायोजन के बाद उजागर हुई है। (ii) स्पष्ट समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि। (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर निहित समायोजनों के कारण कटौती की कुल राशि।		
	(ठ)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या।		
	(ड)	(i) उन मामलों की संख्या जिनमें दुर्भावना का प्रयोग किया गया है (ii) उन मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है (iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां दुर्भावना और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।		
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	(ढ)	समग्र रूप से बैंक के लिए औसत वेतन (उप-स्टाफ को छोड़कर) और इसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन।		

निजी क्षेत्र के बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकट करेंगे।

ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक द्वारा अनुदान की तिथि पर शेयर-लिंकड लिखतों का उचित मूल्य होना चाहिए। इस प्रकार निकाले गए उचित मूल्य को उस लेखा अवधि से शुरू होने वाले व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

14. अन्य प्रकटीकरण**ए) व्यापार अनुपात**

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ³⁷		
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय निधि ³⁵		
iii) जमा की लागत		
iv) निवल ब्याज मार्जिन ³⁸		
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ³⁵		
vi) आस्ति पर आय (प्रतिशत) ³⁹		
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) ⁴⁰ ((₹ करोड़ में)		
viii) प्रति कर्मचारी लाभ ((₹ करोड़ में)		

बी) बैंकबीमा व्यवसाय

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और उनके द्वारा किए गए बैंकबीमा व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

सी) विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करेंगे।

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि को प्रकट किया जाएगा।

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान		
ii) एनपीए के लिए प्रावधान		
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

³⁷ वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

³⁸ शुद्ध ब्याज आय / औसत कमाई वाली संपत्ति। शुद्ध ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय

³⁹ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हो, को छोड़कर कुल संपत्ति) के संदर्भ में होगा।

⁴⁰ प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए, अंतर-बैंक जमा को बाहर रखा जाएगा।

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस) (आरआरबी, एलएबी, यूसीबी पर लागू नहीं)

बैंक इस संबंध में की गई प्रगति सहित इंड-एएस कार्यान्वयन की रणनीति का खुलासा करेंगे। ये प्रकटीकरण इंड-एएस के कार्यान्वयन तक किए जाएंगे।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान		
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया		

एच) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं का खुलासा (यूसीबी के लिए लागू)

यूसीबी निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों को दी जाने वाली किसी भी निधि या गैर-निधि (गारंटी, साख पत्र, आदि) सुविधाओं का खुलासा करेंगे, जिसमें वे रुचि रखते हैं।

आई) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

(11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के अंतर्गत आने वाले बैंकों के लिए लागू)

11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता प्रदान करने के लिए बैंक निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:

- पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की देयता को लागू लेखा मानकों के अनुसार पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए।
- यदि यह व्यय, वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित नहीं किया जाता है, तो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में परिशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम से कम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए।
- इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित प्रकटन वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाना चाहिए। 'लेखांकन की टिप्पणी' में परिशोधित व्यय की राशि का भी प्रकटन होना चाहिए। यदि परिशोधित व्यय को लाभ-हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्यता दी गई होती, तो शुद्ध लाभ क्या होता, इसका भी प्रकटन किया जाना चाहिए।